



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17082026-275511
CG-DL-E-17082026-275511

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4344]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 14, 2026/श्रावण 23, 1948

No. 4344]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 14, 2026/SHRAVAN 23, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2026

का.आ. 4524(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5815(E) तारीख 16/12/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के बाराबंकी जिले में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पैकेज-V के कि.मी. 140.960 से कि.मी.160.200 तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 02.01.2026 को "आज" और "द इंडियन एक्सप्रेस" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटारा किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के बाराबंकी जिले में NH227B के कि.मी. 140.960 से कि.मी.160.200 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: बाराबंकी		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: रामसनेहीघाट					
गांव का नाम: बरहुंवा					
1	734	सरकारी	चकमार्ग	0.11	सरकारी
2	777	निजी	कृषि	0.0013	श्रीमती परवीन कौशर / पत्नी इलियास अहमद
3	779	निजी	कृषि	0.034	बासुदेव / केशवराम श्रीमती / पत्नी स्व०केशवराम
गांव का नाम: पूरे कामगार					
4	72	सरकारी	चकमार्ग	0.0062	सरकारी
5	8	सरकारी	चकमार्ग	0.019	सरकारी
6	80	निजी	कृषि	0.0301	रमेशचन्द्र / रघू प्रसाद /
7	9	निजी	कृषि	0.0652	मो. हबीब / इनायत उल्ला
गांव का नाम: अलियाबाद					
8	646	निजी	कृषि	0.0008	अनन्तराम / रामलखन / जगपाल / रामलखन / रजपाल / रामलखन /
गांव का नाम: कमियार					
9	2166	सरकारी	नदी	2.5156	सरकारी

गांव का नाम: चांदामऊ					
10	62	सरकारी	चकमार्ग	0.0095	सरकारी
गांव का नाम: बेलखरा महफूज					
11	682	सरकारी	बंजर	0.029	सरकारी
गांव का नाम: बेलखरा सैलाब					
12	1095	निजी	कृषि	0.0644	अख्तरून निशा / पत्नी हिदायत उल्ला / अजीजुल्ला / अजमत उल्ला / इरफानउल्ला / शराफतउल्ला / रिजवानउल्ला / शराफतउल्ला / श्रीमती कनीज अहमदी / पत्नी स्व0शफीकउल्ला / सै0 तारिक शफीक / शफीकउल्ला / सै0 फहद शफीक / शफीकउल्ला / सै0 फैसल शफीक / शफीकउल्ला / कु0 फरजाना / पुत्री समीउल्ला / कु0 हिना / पुत्री समीउल्ला / मो0 इमरानउल्ला / समीउल्ला / मो0 मुइनउल्ला / समीउल्ला / श्रीमती रोशनजहाँ / पत्नी स्व0 समीउल्ला /
Total				2.8851	

[फा. सं RO-LKO-NH(O)-NH-227B-2021-22/3D.]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2026

S.O. 4524(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **5815(E) Dated:16/12/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of **84 Kosi Parikarma marg PKG-V NH227B in the stretch of land from km. 140.960 to km. 160.200** in the district of BARABANKI in the state of UTTAR PRADESH.

And whereas the substance of the said notification has been published in "**The Indian Express**" and "**AAJ**" Both **dated 02.01.2026**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the **NH227B in the stretch of land from Km. 140.960 to Km. 160.200 in the district of BARABANKI in the state of UTTAR PRADESH**

State: UTTAR PRADESH			District: BARABANKI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Ramsanehighat					
Village: BARHUWAN					
1	734	Government	CHAKMARG	0.11	Government
2	777	Private	AGRICULTURE	0.0013	Smt. Parveen Kaushar / W/o Iliyas Ahamad
3	779	Private	Agriculture	0.034	Basudev / Keshavram Smt. Wo Late Keshav Ram
Village: Pure Kamgar					
4	72	Government	CHAKMARG	0.0062	Government
5	8	Government	CHAKMARG	0.019	Government
6	80	Private	Agriculture	0.0301	Rameshchandra / Raghu Prasad /
7	9	Private	Agriculture	0.0652	Mo. Habib / Inayat Ulla

Village: Aliabad					
8	646	Private	Agriculture	0.0008	Anantaram / Ramlakhann / Jagapal / Ramlakhann / Rajapal / Ramlakhann /
Village: Kamiyar					
9	2166	Government	River	2.5156	Government
Village: Chandamau					
10	62	Government	CHAKMARG	0.0095	Government
Village: Belkhara Mehfuz					
11	682	Government	Banjar	0.029	Government
Village: Belkhara Sailab					
12	1095	Private	Agriculture	0.0644	Akhtaroon Nisha / W/o Hidayat Ulla / Ajeejulla / Ajmat Ulla / Irfanulla / sharafatulla / Rijwanaulla / sharafatulla / Shrimati Kanij Ahamadi / W/o Late shafikulla Tarik Shafik / shafikulla / Fahad Shafik / shafikulla / Faisal Shafik / shafikulla / Miss Farzana / daughter of Samiullah / Miss Hina / daughter of Samiullah / Md. Imranullah / Samiullah / Md. Muinullah / Samiullah / Smt. Roshanjahan / wife of late Samiullah /
Total				2.8851	

[F. No. RO-LKO-NH(O)-NH-227B-2021-22/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director